भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3544
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

3544. **श्री पुट्टा महेश कुमारः**
श्री संतोष पांडेयः
श्री देवेश शाक्यः
डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा सफलतापूर्वक इसका लाभ उठाने वाली पात्र महिलाओं का प्रतिशत क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार तथा उत्तर प्रदेश में जिलावार कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ख) पीएमएमवीवाई के क्रियान्वयन में, विशेष रूप से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में आ रही प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के लाभों का आगामी प्रथम प्रसव से आगे भी विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएमएमवीवाई ने मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा मातृ पोषण में सुधार करने में योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मातृ एवं कल्याण कार्यक्रमों की तुलना में यह कितना है;

(ङ) क्या पीएमएमवीवाई के अंतर्गत निधि संवितरण प्रक्रिया में कोई अकुशलता, विलंब या भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने उक्त योजना की सफलता और प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति लाभ के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होता है ताकि एक महिला को औसतन 6000/- रुपए प्राप्त हों। दूसरे बच्चे के लिए पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत 6,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो।

पीएमएमवीवाई के तहत नामांकित लाभार्थियों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों सहित) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या, भुगतान किए गए लाभार्थियों और वितरित राशि का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पीएमएमवीवाई के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नामांकित लाभार्थियों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों सहित) की संख्या, भुगतान किए गए लाभार्थियों और वितरित राशि का जिलावार डेटा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति योजना की शुरुआत के साथ, पीएमएमवीवाई के तहत किस्तों की संख्या तीन (3) से घटाकर दो (2) कर दी गई है। इसके अलावा, पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ दूसरे बच्चे के लिए भी दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। योजना में संशोधन के परिणामस्वरूप, एक नया पोर्टल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर(पीएमएमवीवाई सॉफ्ट) तैयार किया गया तथा मार्च, 2023 में शुरू किया गया। पीएमएमवीवाई सॉफ्ट के तहत, यूआईडीएआई के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय

भुगतान निगम (एनपीसीआई) सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है ताकि निधियां सीधे उनके डीबीटी-सक्षम आधार-से जुड़े बैंक या डाकघर खातों में अंतरित की जा सकें ।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने क्षेत्र के कर्मियों के माध्यम से ऊपर उल्लिखित नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि समयबद्ध तरीके से जारी की जाती है बशर्ते कि वे राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में उपलब्ध निधियों का समय पर उपयोग करें। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभार्थियों को भुगतान करने का नियमित अनुरोध किया जाता है।

इसके अलावा, लाभार्थियों को उनके आवेदनों और भुगतानों की स्थिति पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान करने के लिए, आवेदन की तत्समय, स्थान एवं स्थिति दिखाने के लिए पीएमएमवीवाई पोर्टल पर एक 'ट्रैक एंड सर्च' सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, किसी भी लाभार्थी द्वारा पीएमएमवीवाई से संबंधित किसी भी शिकायत दर्ज करने एवं ट्रैक करने के लिए एक शिकायत निवारण मॉड्यूल लागू किया गया है।

मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महिला सशक्तीकरण संकल्प-हब (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) क्रियाकलाप शामिल हैं जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, डोर टू डोर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम जो क्षेत्रीय स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी चला रहा है।

भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) पर विशेष बुलेटिन के अनुसार, देश का वर्तमान एमएमआर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 है। भारत में एमएमआर में 2014-16 में 130 से 2018-20 में 97 तक 33 अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर का रुझान नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

2014-16	**2015-17**	**2016-18**	**2017-19**	**2018-20**
130	122	113	103	97

*****

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) विषय के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3544 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (19.03.2025 तक) तक पीएमएमवीवाई के तहत नामांकित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों सहित), भुगतान किए गए लाभार्थियों और वितरित राशि को दर्शाने वाला विवरण:

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान	भुगतान किए गए लाभार्थियों का %	वितरित राशि (करोड़ रूपए में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,288	3,980	75.26	1.79
2	आंध्र प्रदेश	8,55,723	6,61,671	77.32	360.46
3	अरुणाचल प्रदेश	16,860	11,614	68.88	5.55
4	असम	8,70,118	7,16,034	82.29	376.43
5	बिहार	22,68,323	18,18,965	80.19	847.70
6	चंडीगढ़	17,720	14,213	80.21	7.69
7	छत्तीसगढ़	6,54,458	5,32,476	81.36	264.23
8	दिल्ली	3,06,807	2,33,871	76.23	142.75
9	गोवा	18,459	10,932	59.22	6.84
10	गुजरात	9,44,582	6,10,253	64.61	261.87
11	हरियाणा	4,61,317	2,14,825	46.57	207.01
12	हिमाचल प्रदेश	1,67,685	1,02,791	61.30	65.99
13	जम्मू और कश्मीर	2,77,045	1,78,027	64.26	122.83
14	झारखंड	4,90,940	4,01,611	81.80	188.53
15	कर्नाटक	15,95,050	12,64,589	79.28	763.74
16	केरल	5,80,009	4,44,899	76.71	266.81
17	लद्दाख	4,682	5,271	112.58	2.06

18	लक्षद्वीप	1,942	2,552	131.41	0.65
19	मध्य प्रदेश	23,99,734	22,60,969	94.22	1,042.05
20	महाराष्ट्र	20,76,558	11,63,852	56.05	809.69
21	मणिपुर	43,600	45,846	105.15	18.56
22	मेघालय	45,172	29,690	65.73	18.64
23	मिजोरम	25,001	13,341	53.36	8.96
24	नागालैंड	24,219	18,342	75.73	10.08
25	पुदुच्चेरी	23,027	12,991	56.42	10.11
26	पंजाब	3,99,370	3,76,155	94.19	188.74
27	राजस्थान	14,96,030	12,13,855	81.14	619.13
28	सिक्किम	17,769	6,416	36.11	3.72
29	तमिलनाडु	9,75,288	7,89,778	80.98	254.34
30	दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	13,711	11,347	82.76	5.79
31	त्रिपुरा	67,957	55,634	81.87	28.12
32	उत्तर प्रदेश	28,38,851	17,94,097	63.20	1,243.15
33	उत्तराखंड	2,59,338	2,23,724	86.27	98.22
34	पश्चिम बंगाल	11,42,672	11,086	0.97	394.20

नोट:

1. तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यन्वित नहीं कर रही है।

2. ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यन्वित करने की प्रक्रिया में है।

3. भुगतान किए गए लाभार्थियों का प्रतिशत 100% से अधिक हो सकता है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों में पंजीकृत कुछ लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त हुआ है।

4. यह जानकारी पीएमएमवीवाई पोर्टल (https://pmmvy.wcd.gov.in) से ली गई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) विषय के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3544 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (19.03.2025 तक) तक पीएमएमवीवाई के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नामांकित लाभार्थियों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों सहित), भुगतान किए गए लाभार्थियों और वितरित राशि का जिलावार डेटा दर्शाने वाला विवरण:

क्रम सं	जिला	नामांकित लाभार्थी	लाभार्थी को भुगतान	भुगतान किए गए लाभार्थियों का %	वितरित राशि (करोड़ रूपए में)
1	आगरा	54,881	50,596	92.19	24.47
2	अलीगढ़	55,846	52,284	93.62	24.98
3	अम्बेडकर नगर	36,986	37,637	101.76	16.90
4	अमेठी	31,965	30,330	94.89	12.13
5	अमरोहा	26,446	26,915	101.77	12.95
6	औरैया	18,339	17,023	92.82	7.32
7	अयोध्या	35,998	33,946	94.30	15.29
8	आजमगढ़	50,871	48,952	96.23	21.69
9	बागपत	21,091	18,793	89.10	8.93
10	बहराइच	78,992	73,219	92.69	35.28
11	बलिया	37,131	36,686	98.80	17.37
12	बलरामपुर	35,280	28,705	81.36	13.55
13	बाँदा	23,669	23,842	100.73	11.58
14	बाराबंकी	43,650	41,585	95.27	20.05
15	बरेली	72,787	68,896	94.65	32.22
16	बस्ती	41,028	36,540	89.06	16.07
17	भदोही	23,357	20,572	88.08	8.52
18	बिजनौर	60,426	57,537	95.22	28.45
19	शाहजहांपुर	43,492	42,008	96.59	17.90

20	बुलन्द शहर	46,085	46,887	101.74	22.24
21	चंदौली	23,513	20,584	87.54	9.45
22	चित्रकूट	17,862	17,679	98.98	8.38
23	देवरिया	40,127	40,803	101.68	18.99
24	एटा	22,881	19,598	85.65	8.38
25	इटावा	16,930	16,775	99.08	7.24
26	फर्रुखाबाद	33,575	33,282	99.13	15.22
27	फ़तेहपुर	23,199	22,279	96.03	9.55
28	फिरोजाबाद	25,935	22,839	88.06	9.80
29	गौतमबुद्ध नगर	15,496	14,330	92.48	6.37
30	गाजियाबाद	79,391	68,822	86.69	32.45
31	गाजीपुर	45,265	44,515	98.34	19.45
32	गोंडा	39,206	38,204	97.44	18.44
33	गोरखपुर	51,153	49,792	97.34	22.55
34	हमीरपुर	17,438	17,079	97.94	7.63
35	हापुड	15,872	13,817	87.05	6.40
36	हरदोई	51,864	53,545	103.24	25.55
37	हाथरस	30,363	24,055	79.22	11.00
38	जालौन	29,363	27,265	92.85	13.14
39	जौनपुर	50,960	50,700	99.49	24.41
40	झांसी	25,824	24,240	93.87	10.72
41	कन्नौज	17,667	17,403	98.51	8.12
42	कानपुर देहात	27,079	25,670	94.80	11.79
43	कानपुर नगर	51,212	48,748	95.19	21.84
44	कासगंज	20,886	20,536	98.32	9.09
45	कौशांबी	31,334	28,447	90.79	13.63

46	खेरी	57,081	55,240	96.77	25.34
47	कुशी नगर	44,442	41,316	92.97	17.91
48	ललितपुर	18,646	17,349	93.04	7.82
49	लखनऊ	42,307	38,994	92.17	18.14
50	महाराजगंज	50,711	50,402	99.39	21.79
51	महोबा	15,359	14,337	93.35	6.86
52	मैनपुरी	23,441	21,702	92.58	9.55
53	मथुरा	32,287	31,369	97.16	14.29
54	मऊ	25,675	25,452	99.13	12.01
55	मेरठ	39,888	40,998	102.78	19.56
56	मिर्जापुर	40,774	38,711	94.94	18.72
57	मुरादाबाद	49,012	45,792	93.43	21.61
58	मुजफ्फरनगर	43,758	39,069	89.28	19.32
59	पीलीभीत	26,570	26,157	98.45	10.91
60	प्रतापगढ़	47,340	45,628	96.38	22.09
61	प्रयागराज	71,123	68,370	96.13	31.65
62	रायबरेली	30,027	30,821	102.64	13.51
63	रामपुर	47,425	42,296	89.19	19.90
64	सहारनपुर	54,850	56,600	103.19	28.70
65	संभल	28,562	28,989	101.49	13.77
66	संतकबीरनगर	26,235	25,304	96.45	11.57
67	शाहजहांपुर	54,957	53,972	98.21	25.46
68	शामली	24,541	21,688	88.37	10.56
69	श्रावस्ती	13,623	11,901	87.36	4.87
70	सिद्धार्थनगर	34,320	29,068	84.70	12.26
71	सीतापुर	76,973	73,642	95.67	34.42

72	सोनभद्र	26,606	22,249	83.62	9.63
73	सुल्तानपुर	37,093	37,944	102.29	17.67
74	उन्नाव	51,363	48,635	94.69	22.22
75	वाराणसी	61,147	53,813	88.01	23.56

नोट:

1. भुगतान किए गए लाभार्थियों का प्रतिशत 100% से अधिक हो सकता है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों में पंजीकृत कुछ लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त हुआ है।

2. यह जानकारी पीएमएमवीवाई पोर्टल (https://pmmvy.wcd.gov.in) से ली गई है।

*****